Enquiry into Dakota Crash near Hyderabad

3738. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the enquiry into the Dakota crash near Hyderabad in which, among others, five scientists were killed, has been completed;

(b) if so, the findings of the enquiry; and

(c) the total amount of compensation paid in each case to the families of the scientists and pilots killed in the air crash?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Enquiry Report was received on 6th June 1977, and is under examination.

(c) A total amount of Rs. 8,01,729.24 has been paid to the families of scientists and Indian Air Force crew killed in this plane crash.

Alternative arrangement to accomplish jobs left unfinished by Banking Commission

3739. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state whether Government have made any alternative arrangement for going into those items of work which the Banking Commission, set up under the Chairmanship of Shri Manubhai Shah, had not completed?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : Government have not made any alternative arrangements for going into those items of work which the Commission, set up under the Chairmanship of Shri Manubhai Shah, had not completed. The Banking Commission did not complete any items of work in the sense that it did not submit any report to Government.

उत्तर प्रदेश के कुछ व्यक्तियों को पाकिस्तान की नागरिकता

3740. **श्री सुरेन्द्र मिश्र :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिलों के तिलहार टाउन में कुदरती मंजिल के मालिकों को पाकिस्तान की नागरिकता प्रदान कर दी गई है और यदि हां, तो उनकी लाखों रुपयों की सम्पत्ति को सरकार द्वारा अब तक अपने अधिकार में न लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) कुदरती मंजिल के वारिसों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं और सम्पत्ति का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). प्रश्नाधीन सम्पत्ति श्री कुदरत हुसैन खान की थी जो भारतीय राष्ट्रीक के रूप में मरे थे। उनके बाद उनकी विधवा, 3 पुत्र तथा 3 पुत्रिया बची थी। उनके दो पुत्र पाकिस्तान चले गये थे और इसलिये इन दो पुत्रों के हिस्से को ही शत्रु सम्पत्ति के रूप में घोषित किया जा सकता था। तीसरे पुत्र ने, जो भारतीय राष्ट्रिक है, कुछ सम्पत्तियां बेच दी थी जिनमें उसके उन दो भाइयों का भाग भी शामिल था, जो पाकिस्तान चले गये थे। शाहजहांपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने सब-डिवीजनल आफीसर, तिलहार के न्यायालय में पहले ही मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें सम्पत्ति के दो पाकिस-

तानी वारिसों के हिस्सों की अवैध बिक्री पर आपत्ति की गई है। दो पाकिस्तानी राष्ट्रिकों (श्री कुदरत हुसैन खान के दो पुत्रों) के इस सम्पत्ति में हिस्सों का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

होटलों में काम करने वाले मजदूर

3741. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों में काम करने वाले मजदूरों को 45 रुपये मासिक दर से भोजन भत्ता दिया जाता है जबकि अधिकारी 45 रुपये तक एक ही वक्त के भोजन पर खर्चा कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख). भारत तथा विदेशों में प्रचलित परिपाटी के अनुसार भोजन भत्ता/निशुल्क भोजन होटल कर्मचारियों के वेतन ढांचे का एक अंग है।

भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली के होटलों के कर्मचारियों के मामले में उनके संघों के साथ किये गये समझौते के अनुसार भोजन भत्ता प्रति व्यक्ति 45 रु० प्रतिमास नियत किया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली से बाहर के होटलों के संबंध में भोजन भत्ता प्रति मास प्रति व्यक्ति 20 से 30 रु० तक निर्धारित किया गया है। उन लोगों को छोड़कर जिन्हें ड्यूटी पर तनात होने के दौरान निःशुल्क भोजन दिया जाता है, सभी होटल कमचारी अपने सवेतन अवकाश की अवधि के दौरान भी भोजन भत्ते के पात्र होते हैं उन कर्मचारियों को, जिन्हें ड्यूटी पर निःशुल्क भोजन का अधिकार होता है। उनकी छुट्टी की अवधि के दौरान निःशुल्क भोजन के स्थान पर भोजन भत्ता दिया जाता है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के अधिकारियों को भोजन भत्ता नहीं दिया जाता। होटलों में आने वाले अतिथियों के लिये शीघ्र एवं कुशल सेवा को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे अधिकारियों को, जिनका कार्य परिचालनात्मक अथवा प्रबन्धात्मक होता है, ड्यूटी पर निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इन भोजनों की अधिकतम लागत अलग - अलग होटलों में अलग अलग होती है तथा प्रति भोजन प्रति व्यक्ति 7.20 रु० से लेकर 12.00 रु० तक होती है।

भोजन भत्ते/निःशुल्क ड्यूटी भोजन की पात्रता होटलों के विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये नियत किये गये कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों पर निर्भर करती है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा वसूल किया जाने वाला सेवा शुल्क

3742. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
श्री कचरू लाल हेमराज जैन :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम कर्मचारियों के नाम से होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों से सेवा शुल्क वसूल करता है ; और

(ख) क्या इस राशि को कर्मचारियों में वितरित नहीं किया जाता ?